वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 2 मई, 1975

सा० का० नि० 244(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) दिनांक 16 अप्रैल, 1975 के पृष्ठ 823 से 831 तक प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 201 (अ) में कृपया निम्नलिखित संशोधन कर लिए जांय :—

1. पृष्ठ 827 पर पहले पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति में 'निवाणनेर्थ' के स्थान पर 'निवारणार्थ' पढ़ा जाय।
2. इसी पृष्ठ पर नीचे से छटी पंक्ति में 'Sni' के स्थान पर 'Sui' पढ़ा जाय।
3. पृष्ठ 829 पर अनुच्छेद VI के पहले पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति में 'कलेण्डर' के स्थान पर 'केलेण्डर' पढ़ा जाय।
4. पृष्ठ 830 पर पैराग्राफ (2) की तीसरी पंक्ति में 'रकम' के स्थान पर 'रकमें' पढ़ा जाय।
5. इसी पृष्ठ पर अंतिम पैरा की दूसरी पंक्ति में 'वह' के स्थान पर 'यह' पढ़ा जाय।
6. पृष्ठ 831 पर पैराग्राफ (2) की छठी पंक्ति में "एसी" के स्थान पर 'ऐसी' पढ़ा जाय।
7. इसी पृष्ठ पर अंतिम पैराग्राफ में 'माने जायेंगे।' के बाद उद्धरण चिन्ह (") पढ़ा जाय।
8. इसी पृष्ठ के अन्त में 'सं० 867' के स्थान पर 'सं० 877' पढ़ा जाय।

[सं० 889/फा० सं० 501/10/73/वि० क० प्र०]

एस० आर० मेहता, अपर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975